

10. यह सहमति आदेश दिनोंक 27.03.17 में अंकित उत्पादन व जल की खपत के लिए वैध है, उत्पादन क्षमता अथवा जल की मात्रा में वृद्धि करनी होतो बोर्ड से आवश्यक स्वीकृत प्राप्त कर ही करें।
11. होटल में जनित वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु एम0एस0डब्लू रूल्स के अनुसार प्रथकरण संग्रहण एवं निस्तारण किया जायें।
12. होटल में किचन इत्यादि से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत तथा सम्भव सिंचाई हेतु पुनः उपयोग किया जाये।

इस सहमति आदेश पर अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा जल(प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

सन्दर्भ संख्या.....

तद् दिनोंक.....

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता(वृत्त-4) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. महाप्रबन्ध जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी